

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2013—ज्येष्ठ 17, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2013

क्र. एफ.ए. 6 -68-2010-1-पांच-पार्ट (34).—मध्यप्रदेश वेत नियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 6(ए) 68-2010-1-पांच-(29), दिनांक 1 अप्रैल 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
“1	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर इन्दौर संभाग-1	अधिसूचना क्रमांक एफ ए 6(ए) 68/2010-1-पांच (28), दिनांक 1-4-2011 द्वारा यथा अधिसूचित वृत्तिकर वृत्त, इन्दौर तथा अधिसूचना क्रमांक ए-5-8-96-वि.क.-पांच (13), दिनांक 31-3-1997 द्वारा यथा अधिसूचित इन्दौर वृत्त-1, 2, 5, 14 तथा वृत्त 15 की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट क्षेत्र.	इन्दौर”.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2013

क्र. एफ.ए. 68-2010-1 (34).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.ए. 6-68-2010-1-(34), दिनांक 7 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 7th June 2013

No. F-A6-68-2010-1-5-Part(34).—In exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F A 6(A)68-2010-1-V(29), dated 1st April 2011, namely :—

#### AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“1.	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Division Indore-1.	Professional Tax Circle, Indore as notified by Notification No. FA-6(A)68-2010-1-V(28), dated 01-04-2011 and area comprising of local limits of Indore Circle-1, 2, 5, 14 and Circle 15 as notified by notification No. A-5-8-96-ST-V(13) dated 31-3-1997.	Indore.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.